शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2018/4694 भोपाल दिनांक-24.7.18

प्रति

प्राचार्य डाईट
समस्त जिले म0प्र0

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले म0प्र0

विषय-माध्यमिक/ प्राथमिक शाला शिक्षकों के प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग एवं रिपोर्टिंग तथा शिक्षकों द्वारा आनलाईन फीडबेक भरवाने के साथ आगामी निर्धारित चरणों की जानकारी प्रेषित करने विषयक।

संदर्भ:- क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2018/4566भोपाल दिनांक-18.7.2018

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राचार्य डाईट एवं जिन जिलों में डाईट नहीं है वहां पर जिला परियोजना से वांछित जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही चाही गई थी। परन्तु खेद का विषय है कि अधिकांश जिलों के द्वारा चाही गई जानकारी तथा आन लाईन रिपोर्टिंग मॉनीटरिंग एवं शिक्षकों का फीडबेक नहीं भरवाया जा रहा है जिस पर प्रमुख सचिव महोदया द्वारा गंभीर आपत्ति ली गई है। यदि आज दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं होती है तो प्राचार्य एवं प्रशिक्षण प्रभारी के बिरूद्व शासन के निर्देशों की अवहेलना मानते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त संचालक महोदय द्वारा निर्धारित तिथियें को अपने स्तर पर परिवर्तन कर नई तिथियों का निर्धारण कर लिया जाता है जिसकी सूचना राज्य को भी प्रेषित नहीं की जाती है, तिथियों में परिवर्तन के संबंध में बगैर राज्य की अनुमति के परिवर्तन न करें साथ ही प्रशिक्षण तिथियां प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शनिवार ही रखें यदि मध्य में कोई शासकीय अवकाश आता है तो उसके संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर आगामी कार्यवाही करें। अतएव निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक 24.7.2018 को सांयकाल तक अपने जिले से वांछित जानकारी ई-मेल के माध्यम से *training.rsk2012@gmail* डाट काम पर प्रेषित करें तथा जानकारी भेजने की सूचना दूरभाष पर प्रदान करें। इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर पालन सुनिश्चत करायें।

1-शिक्षकों(प्राथमिक/माध्यमिक) का फीडबेक आन लाईन अनिवार्यतः प्रशिक्षण समाप्ति के एक दिवस पर पूर्व भरवाना सुनिश्चत करें।

लिंक- http://mpsdc.gov.in/rmsa/school/ms-teacher-feedback-form.aspx

यह फीबेक प्राथमिक एवं माध्यमिक दोनों प्रशिक्षण के लिए एक ही लिंक है इसमें यदि डीआरजी का नाम अंकित नहीं हो तो other option मे जाकर डीआरजी का नाम भरकर फीडबेक फार्म भरवाये। यह लिंक प्रत्येक कक्ष म बोर्ड पर स्थाई रूप से अंकित करें। जिससे शिक्षकों को बार बार बताना न पडे। जिस चरण में शिक्षकों द्वारा फीडबेक नहीं भरा जायेगा उस चरण में डीआरजी का मानदेय देय नहीं होगा।

2-मॉनीटरकर्ता हेतु आनलाईन लिंक सभी मॉनिटर्स/ प्रशिक्षण स्थल जांचकर्ता (IASEs, CTEs, DPCs, APCs, OICs,) द्वारा भरी जाने वाली मॉनिटरिंग रिपोर्ट (Please fill ABSENT numbers, i.e. no. of teachers absent, no. of trainers/DRGs absent, in the form, as asked):
http://mpsdc.gov.in/rmsa/school/ms-teacher-monitoring-form.aspx
इस लिंक की जानकारी सभी मॉनीटर्स तथा प्राचार्य डाईट प्रशिक्षण प्रभारी जिला परियेाजना समन्वयक एवं एपीसी तथा एसआरजी एवं डाईट के विकासखण्ड प्रभारी को उपलब्ध कराते हुये हस्ताक्षर प्राप्त करें।

3- प्रशिक्षण संबंधी प्रतिदिवस भेजी जाने वाली जानकारी

सभी प्रशिक्षण स्थल इंचार्ज (DIETs,) द्वारा हर बैच के लिए एक बार भरी जाने वाली प्रशिक्षण स्थल जांच रिपोर्ट &लॉजिस्टि / सुविधाओं संबंधी लिंक :https://goo.gl/forms/XAJHOenGrXK0CIhl1

उपरोक्त जानकारी माध्यमिक शाला के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु डाईट प्राचार्य द्वारा सीधे भरी जायेगी तथा विकासखण्ड स्तर पर आयोजित हो रहे प्राथमिक शाला के शिक्षकों की उपस्थिति बीआरसी से 10.30 तक प्राप्त कर जिले की जानकारी समेकित करते हुये प्राचार्य डाईट द्वारा गूगल शीट पर ऑनलाईन प्रेषित की जायेगी। जिन बीआरसी द्वारा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है उनके नाम जिले के कलेक्टर को प्रेषित करते हुये राज्य को सूचित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत करते हुये संदर्भित पत्र के माध्यम से चाही गई वांछित जानकारी आज ही प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

(संचालक द्वारा आदेशित)

24/7/18

(ओ0एल0मण्डलोई)
अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृ0क्रमांक/राशिके/शिप्रशि/2018/4695 भोपाल दिनांक- 24-7-18

प्रतिलिपि-

1-प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2-कलेक्टर समस्त जिलों की ओर लेख है कि प्रशिक्षण संबंधी कार्यवाही की समीक्षा करने का कष्ट करें।
3-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर समीक्षा उपरांत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
4-संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालनालय समस्त संभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5-सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग समस्त संबंधित जिलों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6-जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिलों की ओर लेख है कि संकुल प्राचार्य के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण में उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
7-समस्त एपीसी,बीआरसी,एसआरजी,डीआरजी की ओर लेख है कि अनिवार्यतः उपर गई लिंक के अनुसार जानकारी भरना एवं भरवाना सुनिश्चत करें।
8-आईसीटी कक्ष की ओर एजूकेशन पोर्टल में अपलोड हेतु प्रेषित।

24/7/18

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र